

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ०प्र०।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ०प्र०।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 21 नवम्बर, 2023
विषय: उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा
विकसित/निर्मित एवं आवासीय/व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन में
आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 17.12.1999 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा० लोक लेखा समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 22.11.2023 में मा० सदस्यगण
द्वारा अवगत कराया गया है कि उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद तथा विभिन्न विकास
प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित एवं आवासीय/व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन
में आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश संख्या-4982/9-आ-1-99-79 बैठक/99 दिनांक
17.12.1999 निर्गत होने के बाद भी मा० विधायक, मा० सांसद व स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी
हेतु आरक्षित 05 प्रतिशत भवन/भूखण्ड का आवंटन नहीं हो पा रहा है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासनादेश दिनांक
17.12.1999 एवं इस सम्बन्ध में समय समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई से
अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
2. निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र० लखनऊ।

आज्ञा से,

(अरुण कुमार)
अनु सचिव।